निर्णय वइजलास श्री दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या :–32/2023
दायरा दिनांक : 22.03.2023
निर्णय दिनांक :– 31.7.23

उनवान

1. हरीश नागर पुत्र उमाशंमकर जाति धाकड निवासी बामला तह0 बारां जिला बारां
2. मोहन नागर पुत्र उमाशंकर जाति धाकड निवासी बामला तह0 बारां जिला बारां

–वादीगण

बनाम

1. उमाशंकर पुत्र जगन्नाथ जाति धाकड निवासी बामला तह0 बारां जिला बारां
2. निर्मल पुत्र उमाशंमकर जाति धाकड निवासी बामला तह0 बारां जिला बारां
3. सुमन पुत्री उमाशंमकर जाति धाकड निवासी बामला तह0 बारां जिला बारां
4. मधु पुत्री उमाशंमकर जाति धाकड निवासी बामला तह0 बारां जिला बारां
5. ममता पुत्री उमाशंकर जाति धाकड निवासी बामला तह0 बारां जिला बारां
6. रचना पुत्री उमाशंमकर जाति धाकड निवासी बामला तह0 बारां जिला बारां
7. सुलोचना पुत्री उमाशंमकर जाति धाकड निवासी बामला तह0 बारां जिला बारां
8. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, बारां जिला बारां

–प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 53, 188 आर0 टी0 एक्ट

निर्णय दिनांक :– 31.7.23

अभिभाषक उपस्थित :–1. श्री ओम प्रकाश मेहता एड0– वादी

अभिभाषक वादी द्वारा दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 53, 188 आर0 टी0 एक्ट विरूद्ध प्रतिवादी गण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि वाके ग्राम बामला पटवार हल्का बामला तहसील बारां की आराजी जमाबन्दी सम्वत् 2072–75 खाता सं0 नया 18 पुराना 39 की आराजी खसरा नं0 1899/1021 रकबा 3.69 हे0, खसरा नं0 809 रकबा 0.04 हे0, खसरा नं0 810 रकबा 0.20 हे0, खसरा नं0 811 रकबा 0.45 हे0, कुल किता 4 रकबा 4.38 हे0 एवं ग्राम बामला [illegible] खाता सं0 नया 19 पुराना 17 की आराजी खसरा नं0 1369 रकबा 2.09 हे0, खसरा नं0 [illegible]37 रकबा 3.55 हे0, खसरा नं0 596 रकबा 1.50 हे0 कुल किता 3 कुल रकबा 7.14 [illegible] है विवादित आराजियात के सेटलमेन्ट सम्वत् 2038–57 के पूर्व साबिक खसरा [illegible]32 मि0 रकबा 93.17 बीघा, खसरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.15 16:58:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बाराँ

Scanned with CamScanner

नं0 512 मी0 रकबा 4.06 बीघा, खसरा नं0 1026 रकबा 13 बीघा, खसरा नं0 1012 मी0 रकबा 33.01 बीघा, खसरा नं0 817 रकबा 07 बीघा कायम किये गये है। उक्त आराजी के मूल खातेदार जगन्नाथ पुत्र रोड़ूलाल जाति धाकड़ निवासी बामला के खातेदारी में थी। जो विरासत में प्रतिवादी कम 1 उमाशंकर को प्राप्त हुई। वादीगण उमाशंकर के वैधानिक वारिस है। इस प्रकार हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत पिता की पैत्रिक सम्पत्ति में पुत्र का जन्म से ही हक हकूक नियत है। इसलिए वादीगण अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाकर विधिवत बंटवारा करवाकर अपना नाम राजस्व रिकार्ड में 1/4,1/4 वादी कम 1 व 2 का तथा 1/4 प्रतिवादी कम 1 व 1/4 प्रतिवादी कम 2 का नाम राजस्व रिकार्ड में अंकन कराने तथा प्रतिवादी कम 3 लगायत 7 को उनके हिस्से के रूप में विवाह के समय ही नगद रूप से अदा करने के कारण उनका हक हकूक उक्त आराजियात में निहित नहीं होने के कारण अपने हक हकूक घोषित करवाकर राजस्व रिकार्ड में अंकन कराने व खिलाफ प्रतिवादीगण स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त कर सकने व अपने हिस्से अनुसार बंटवारा करवाकर पृथक से राजस्व रिकार्ड में अंकन कराने व पृथक से लगान निर्धारित करवा पा सकने के अधिकारी है।

प्रतिवादी कम 1 उमाशंकर द्वारा अपने तीनों पुत्रों वादीगण व प्रतिवादी कम 2 के मध्य बाहमी बंटवारा 1/4,1/4 के अनुसार किया हुआ है। उसी अनुसार वादीगण अपने 1/4,1/4 हिस्से पर तथा प्रतिवादी कम 1, 1/4 हिस्से पर व प्रतिवादी कम 2, 1/4 हिस्से पर काबिज काश्त है। बाहमी बंटवारे अनुसार प्रतिवादी कम 3 ता 7 का हिस्सा उनकी शादी के समय उन्हे नकद रूप से अदा किये जाने के कारण अब उनका कोई हिस्सा नहीं है न ही वह लेना चाहती है इस कारण वादीगण व प्रतिवादी कम 2 के खातेदारी अधिकार घोषित किये जाकर वादीगण व प्रतिवादीगण कम 1 व 2 के मध्य 1/4,1/4 के रूप में विभाजन किया जाकर बाहमी बंटवारे अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर पृथक से लान निर्धारित किया जावे व वादीगण के पक्ष में खिलाफ प्रतिवादीगण स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त कर सकने के अधिकारी एवं निलाशी है। वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण से बाहमी बंटवारे के अनुसार वादीगण का नाम राजस्व रिकार्ड में अंकन कराने व बाहमी बंटवारे अनुसार खाता पृथक–पृथक करवाने के लिए कई मर्तबा निवेदन किया गया किन्तु प्रतिवादीगण द्वारा टालमटूल की जाती रही इस प्रकार अंतिम रूप से दिनांक 28.02.2023 को प्रतिवादीगण से कहने पर उनके द्वारा स्पष्ट रूप से इंकार करने पर वाद कारण बमुकाम बामला में उत्पन्न हुआ है। तथा वादीगण द्वारा राजस्थान सरकार के प्रतिनिधी के रूप में तहसीलदार बारां से उनका नाम राजस्व रिकार्ड में अंकन करने का निवेदन किया गया तो तहसीलदार बारां द्वारा सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत किये जाने की सलाह दिये जाने पर वादीगण द्वारा अपने अधिवक्ता से जिला कलक्टर महोदय, बारां को धारा 80 सी0पी0सी0 का नोटिस दिनांक 14.03.2023 को दिलाये जाने पर वाद कारण उत्पन्न हुआ है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.15 16:58:43 IST
Reason: SelfAttested

वादी का वाद [illegible] कर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य राजीनामा हो गया है। राजीनामा पेश किया गया। वादी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन मे नकल जमाबंदी ग्राम बामला सम्वत् 2072–75 खाता

उपखण्ड अधिकारी
बारॉं

Scanned with CamScanner

सं0 19,नकल जमाबंदी ग्राम बामला सम्वत् 2072–75 खाता सं0 18, नकल मिलान क्षैत्रफल ग्राम बामला सम्वत् 2038–57, नकल खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2038–57,नकल खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2038–57 खाता संख्या 42,नकल जमाबंदी ग्राम बामला सम्वत् 2024–27 खाता सं0 71,नकल जमाबंदी ग्राम बामला सम्वत् 2024–27 खाता सं0 74, पेश की गई।

वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा न्यायालय मे उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया गया कि वादी एवं प्रतिवादी के मध्य आपसी समझाईश एवं लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो गया है। जिसके मुताबिक प्रतिवादी कम 3 सुमन, प्रतिवादी कम 4 ममता,प्रतिवादी कम 5 मधु,प्रतिवादी कम 6 रचना, प्रतिवादी कम 7 सुलोचना पुत्रियां उमाशंकर जाति धाकड अपने–अपने ससुराल मे शादी के समय से ही निवास कर रही है तथा उनका हिस्सा शादी मे उनको नगद रूप से दिया था। अब वह कोई हिस्सा नही लेना चाहती है। सम्पूर्ण आराजीयात ग्राम बामला मे वादी कम 1 व 2 तथा प्रतिवादी कम 1 व 2 का समान रूप से 1/4, 1/4 हिस्सा रहेगा। जो आपसी सहमती से निम्न प्रकार से राजीनामा अनुसार बटवारां किया गया है। जो निम्न प्रकार है।खाता सं0 नया 18 पुराना 139 की आराजी ख0नं0 1899/1021 रकबा 3.69 हे0 मे उत्तरी ओर का 1/3 प्रतिवादी कम 2 निर्मल के मध्य का 1/3 हिस्सा वादी कम 1 हरीश नागर के रहेगा तथा दक्षिण की ओर का हिस्सा 1/3 वादी कम 2 मोहन खसरा नं0 809 रकबा 0.04 हे0 खसरा नं0 810 रकबा 0.20 हे0 ख0 नं0 811 रकबा 0.45 हे0 प्रतिवादी कम 1 उमाशंकर के हिस्से मे रहेगा। ग्राम बामला की जमाबन्दी खाता सं0 नया 19 पुराना 17 की ख0 नं0 1369 रकबा 2.09 हे0 मे से 11 बीघा (1.76 हे0) प्रतिवादी कम 2 निर्मल के हिस्से मे तथा शेष 0.33 हे0 प्रतिवादी कम 1 उमाशंकर के हिस्से मे रहेगी तथा ख0नं0 1537 रकबा 3.55 हे0 मे 1/2 उत्तरी हिस्सा वादी कम 1 हरीश नागर के तथा 1/2 हिस्सा दक्षिणी ओर वादी कम 2 मोहन नागर के रहेगा तथा ख0नं0 596 रकबा 1. 50 हे0 सम्पूर्ण प्रतिवादी कम 1 उमाशंकर के हिस्से मे रहेगा। इस प्रकार वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा आपसी सहमति व पारिवारिक समझाईश से मौके पर बटवारा कर लिया है और उसी अनुसार काबिज काश्त है। राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आपसी सहमति से किये गये राजीनामा को तस्दीक कर राजीनामा अनुसार बंटवारा किये जाने के आदेश प्रदान करें।

वादी व प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड जमाबन्दी के अनुसार विवादित आराजी वाके ग्राम बामला पैत्रक सम्पत्ति है पैत्रक सम्पत्ति होने से वादीगण अपना हिस्सा अलग से प्राप्त करने का अधिकारी है। बहिनों द्वारा न्यायालय में उप0 होकर पिता के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी में से अपना हिस्सा नहीं लेना चाहती है। बहिनें अपना हिस्सा अपने तीनों भाईयों एवं पिता को देना चाहती है पूर्व में विवादित आराजी जगन्नाथ पुत्र रोडूलाल धाकड़ के खातेदारी की थी। वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 20[illegible] के अनुसार उमाशंकर पुत्र जगन्नाथ धाकड़ के खातेदारी में दर्ज है। इससे यह साबित होता है कि विवादित आराजी पैत्रक सम्पत्ति है जिसमें वादी गण का हिस्सा निहित है। [illegible] करने के अधिकारी है। वादीगण का वाद सहमति एवं राजीनामे के आधार पर स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.15 16:38:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बारॉं

Scanned with CamScanner

क्रियात्मक आदेश

उपरोक्त विवेचनानुसार वादीगण का वाद सहमति एवं राजीनामे के आधार पर स्वीकार किया जाता है। विवादित आरजी वाके ग्राम बामला तहसील बारां के ख0नं0 1899/1021 रकबा 3.69 हे0 मे उत्तरी ओर का 1/3 प्रतिवादी क्रम 2 निर्मल के मध्य का 1/3 हिस्सा वादी क्रम 1 हरीश नागर के रहेगा तथा दक्षिण की ओर का हिस्सा 1/3 वादी क्रम 2 मोहन खसरा नं0 809 रकबा 0.04 हे0 खसरा नं0 810 रकबा 0.20 हे0 ख0 नं0 811 रकबा 0.45 हे0 प्रतिवादी क्रम 1 उमाशंकर के हिस्से मे रहेगी।ख0 नं0 1369 रकबा 2.09 हे0 मे से 11 बीघा (1.76 हे0) प्रतिवादी क्रम 2 निर्मल के हिस्से मे तथा शेष 0.33 हे0 प्रतिवादी क्रम 1 उमाशंकर के हिस्से मे रहेगी तथा ख0नं0 1537 रकबा 3.55 हे0 मे 1/2 उत्तरी हिस्सा वादी क्रम 1 हरीश नागर के तथा 1/2 हिस्सा दक्षिणी ओर वादी क्रम 2 मोहन नागर के रहेगा तथा ख0नं0 596 रकबा 1.50 हे0 सम्पूर्ण प्रतिवादी क्रम 1 उमाशंकर के हिस्से मे रहेगी। उक्तानुसार वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 व 2 के खातेदारी में दर्ज कर लगान निर्धारण करने हेतु तहसीलदार बारां को आदेशित किया जाता है तद्नुरूप डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय लिखाया जा कर सरे इजलास सुनाया गया।

(दिवांशु शर्मा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, बारां

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.15 16:58:43 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्डअधिकारी, बारांजिलाबारां (राज0)

डिक्री

वाद संख्या 32/2023	अन्तर्गत 53,88,89,188 आर टी एक्ट	निर्णय दिनांकः– 31.07.2023
समक्ष : **श्री दिवांशु शर्मा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, बारां जिला बारां**		
उपस्थिति :अभिभाषक वादीः–श्री ओमप्रकाश मेहता ।।	अभिभाषक प्रतिवादीः–श्री	

वाद शीर्षक

उनवान

1. हरीश नागर पुत्र उमाशंमकर जाति धाकड निवासी बामला तह0 बारां जिला बारां
2. मोहन नागर पुत्र उमाशंकर जाति धाकड निवासी बामला तह0 बारां जिला बारां

–**वादीगण**

बनाम

1. उमाशंकर पुत्र जगन्नाथ जाति धाकड निवासी बामला तह0 बारां जिला बारां
2. निर्मल पुत्र उमाशंमकर जाति धाकड निवासी बामला तह0 बारां जिला बारां
3. सुमन पुत्री उमाशंमकर जाति धाकड निवासी बामला तह0 बारां जिला बारां
4. मधु पुत्री उमाशंमकर जाति धाकड निवासी बामला तह0 बारां जिला बारां
5. ममता पुत्री उमाशंकर जाति धाकड निवासी बामला तह0 बारां जिला बारां
6. रचना पुत्री उमाशंमकर जाति धाकड निवासी बामला तह0 बारां जिला बारां
7. सुलोचना पुत्री उमाशंमकर जाति धाकड निवासी बामला तह0 बारां जिला बारां
8. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, बारां जिला बारां

–**प्रतिवादीगण**

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेषित किया जाता है और तद्नुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

वादीगण का वाद सहमति एवं राजीनामे के आधार पर स्वीकार किया जाता है। विवादित आरजी वाके ग्राम बामला तहसील बारां के ख0नं0 1899/1021 रकबा 3.69 हे0 मे उत्तरी ओर का 1/3 प्रतिवादी कम 2 निर्मल के मध्य का 1/3 हिस्सा वादी कम 1 हरीश नागर के रहेगा तथा दक्षिण की ओर का हिस्सा 1/3 वादी कम 2 मोहन खसरा नं0 809 रकबा 0.04 हे0 खसरा नं0 810 रकबा 0.20 हे0 ख0 नं0 811 रकबा 0.45 हे0 प्रतिवादी कम 1 उमाशंकर के हिस्से मे रहेगी।ख0 नं0 1369 रकबा 2.09 हे0 मे से 11 बीघा (1.76 हे0) प्रतिवादी कम 2 निर्मल के हिस्से मे तथा शेष 0.33 हे0 प्रतिवादी कम 1 उमाशंकर के हिस्से मे रहेगी तथा ख0नं0 1537 रकबा 3.55 हे0 मे 1/2 उत्तरी हिस्सा वादी कम 1 हरीश नागर के तथा 1/2 हिस्सा दक्षिणी ओर वादी कम 2 मोहन नागर के रहेगा तथा ख0नं0 596 रकबा 1.50 हे0 सम्पूर्ण प्रतिवादी कम 1 उमाशंकर के हिस्से मे रहेगी। उक्तानुसार वादीगण एवं प्रतिवादी कम 1 व 2 के खातेदारी में दर्ज कर लगान निर्धारण करने हेतु तहसीलदार बारां को आदेशित किया जाता है

साथ ही नियमानुसार .... रू0 का व्ययानुतोष .... द्वारा .... को प्रदान किया जाए।
उक्त आदेष मेरें हस्ताक्षर एव न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 31.07.2023 को निर्गत किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.15 16:58:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डअधिकारी,
बारांजिला–बारां

उपखण्ड अधिकारी
बारां

क्र.सं.	व्यय मद	व्ययानुतोष वादी	प्रतिवादी
1.	वादपत्र/लिखित कथन		
2.	अभिभाषकपत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थनापत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिकअभिभाषक		

Scanned with CamScanner